न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./77/2022

1. मुन्नी देवी पत्नी श्री लादू जाति भांबी निवासी राताकोट तहसील भिनाय अजमेर
2. सुनिल पुत्र श्री लादू जाति भांबी निवासी राताकोट तहसील भिनाय अजमेर
3. सीमा पुत्री श्री लादू जाति भांबी निवासी राताकोट तहसील भिनाय अजमेर
4. अजय कुमार नाबालिग पुत्र श्री लादू जाति भांबी निवासी राताकोट तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. शफी पुत्र श्री नूरा जाति लुहार निवासी राताकोट तहसील भिनाय, अजमेर
2. धर्मा पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी राताकोट तहसील भिनाय, अजमेर
3. रामस्वरूप पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी राताकोट तहसील भिनाय, अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामनिया
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा राताकोट पटवार क्षेत्र राताकोट भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता संख्या 459 में दर्ज खसरा नं. 1776/3454 रकबा 0.31 है0, ख0नं. 1777 रकबा 0.48, ख0नं. 1800 रकबा 0.10 एवं खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.37 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.26 हैं0 है,** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 03 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र पैरोकार सरकार तथा राजस्व जमाबन्दी ग्राम राताकोट का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व मनन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा राताकोट पटवार क्षेत्र राताकोट भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता संख्या 459 में**

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner